नालबड़ी में 18 विद्यालयों के पुस्तकालय उन्नयन कार्य का किया लोकार्पण

बीकानेर, (कासं)। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने मंगलवार को सिनजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी मद के तहत जिले के 18 राजकीय विद्यालयों के पुस्तकालय उन्नयन कार्यों का लोकार्पण किया। सिनजेंटा द्वारा सिनजेंटा ज्ञान दीपिका परियोजना के तहत इन विद्यालयों के पुस्तकालयों में आवश्यक सौन्दर्यकरण कार्य के अलावा 243 रेक्स, 480 कुर्सियां, 123 टेबलें और 17 सेट कंप्यूटर और पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं। जिनसे 5 हजार 446 विद्यार्थियों को अध्ययन का बेहतर वातावरण मिल पायेगा।

इस पर सीएसआर मद से लगभग 80 लाख रूपए व्यय किए गए हैं। नालबाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अर्पण सेवा संस्थान के क्रियान्वयन सहयोग से आयोजित कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि सिनजेंटा ने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सराहनीय कार्य किया है। आने वाले समय में लगभग 50 विद्यालयों में पुस्तकालय विकास के कार्य करवाए जायेंगे। जिससे बच्चे यहां बैठकर अध्ययन कर सकें। अच्छी किताबें पढ़ने से बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और वे सुयोग्य नागरिक बनकर देश के विकास में भागीदारी निभायेंगे।

इस अवसर पर मेघवाल ने कहा कि नालबड़ी की बालिकाओं के लिए गांव में जल्दी ही उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय खुलवाया जायेगा। इसके लिए उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट से कार्यक्रम स्थल से ही चर्चा करते हुए इसके लिए निर्देशित किया। मेघवाल ने ग्रामीणों से आव्हान किया कि स्कूल स्वीकृति के बाद वे इसके लिए भूमि उपलब्ध करवाएं। सीएसआर मद से यहां भव्य विद्यालय भवन बनाकर संचालन के लिए शिक्षा विभाग को सुपुर्द किया जायेगा। उन्होंने ग्रामीणों की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

इससे पहले केन्द्रीय मंत्री मेघवाल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नालबड़ी में विकसित किए गए पुस्तकालय का लोकार्पण किया। उन्होंने यहां पढ़ रहे विद्यार्थियों से बातचीत की तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पढ़ रहे एक विद्यार्थी से दूरभाष पर चर्चा की। उन्होंने अन्य सत्रह विद्यालयों के प्राचार्यों को पुस्तकालय उन्नयन कार्य की शिला पट्टिकाएं सौंपी। सिनजेंटा द्वारा पहले चरण में सिंथल, कानासर, नालबड़ी हाडला रावलोतान, गजनेर, सरह थुंबली, जोगियासन, फूलदेसर, कालू, उदासर, किसनासर, रातडिया, रासीसर, हरिराम बास महादेववाली, तोलियासर, जोरावरपुरा, जोधासर और भोजास में यह पुस्तकालय विकसित किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा रामगोपाल शर्मा ने कहा कि सिनजेंटा के सहयोग से पुस्तकालयों को नया स्वरूप मिला है। इससे विद्यार्थियों को लाभ होगा।

सिनजेंटा की प्रतिनिधि डॉ. मल्लिका वर्मा ने स्वागत उद्बोधन दिया तथा कंपनी द्वारा सीएसआर के तहत करवाए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। सिनजेंटा की ओर से वैद्यनाथन और अर्पण सेवा संस्था के शुभकरण चौधरी ने विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम शब्द की सार्थकता तभी होगी, जब हम मां के नाम लगाये गए पौधे की नियमित देखभाल करेंगे। अभियान के संयोजक तथा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. सत्य प्रकाश आचार्य ने कहा कि वन और पर्यावरण प्रकल्प के माध्यम से प्रदेश भाजपा ने राज्य को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने के साथ बड़े होने तक उनकी देखभाल बच्चों की तरह की जाए। कार्यक्रम में श्याम पंचारिया, सिनजेंटा के डॉ. के शिव रवि, अमित चौहान, स्कूल प्राचार्य हरिकिशन मेहरड़ा, सुरजाराम अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में गुमान सिंह राजपुरोहित, किशन गोदारा, महावीर सिंह चारण, छगन प्रजापत, ओमप्रकाश सोनी मौजूद थे।

केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने नालबड़ी में 18 विद्यालयों के पुस्तकालय उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया।

- **सिनजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएसआर मद के तहत 80 लाख रूपये खर्च कर विद्यालय पुस्तकालयों में सौन्दर्यकरण कार्य के अलावा 243 रेक्स, 480 कुर्सियां, 123 टेबलें और 17 सेट कंप्यूटर और पुस्तकें उपलब्ध कराई**

रंगदारी मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (कासं)। प्रोपर्टी कारोबारी सतीश कुमार से रंगदारी मांगने के मामले में दो और आरोपियों को जवाहर नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया।

आरोपी मनीष (18) पुत्र सतपाल राजपूत और राहुल (21) पुत्र जगदीश कुमार निवासी 3 एसटीआर, घड़साना को गिरफ्तार किया गया है। इनकी भूमिका फिरौती वसूलने व अन्य जघन्य अपराधों के अंजाम देने वाले गैंग के रूपयों को हवाला के जरिए विदेश भेजने और प्रोपर्टी कारोबारी के घर पर धमकी वाला लेटर व कारतूस रखने के मामले में सामने आई है।

गौरतलब है कि प्रोपर्टी कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में दो केस दर्ज हुए थे। 27 मई की रात को घर पर हुई फायरिंग के मामले में दर्ज केस की जांच के दौरान एसआई बलवंत कुमार ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान इन लोगों की भूमिका प्रोपर्टी कारोबारी के घर पर धमकी वाला लेटर व कारतूस रखने के मामले में भी सामने आई है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि आरोपी फिरौती के तौर पर वसूली गई रकम को हवाला के जरिए विदेश पहुंचाने वाले नेटवर्क का हिस्सा हैं।

पूछताछ में सामने आया कि वे एक संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए है। गैंग के सदस्यों के खिलाफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश सहित कई राज्यों में गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं। इनमें हत्या, रंगदारी, वसूली, फायरिंग, हथियार तस्करी, हवाला, फिरौती के लिए हत्या जैसे जघन्य आपराधिक प्रकरण शामिल है।

नशे के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली

श्रीगंगानगर, (कासं)। केसरीसिंहपुर में नशे के कारोबार और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को जन आक्रोश रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने बाजार में नारेबाजी की और पुलिस थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। एएसआई हरपाल ज्याणी को पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रैली से पहले सभा का आयोजन किया गया। रैली में सांसद कुलदीप इंदौरा, बबलदीप सिंह, मोहन पंजाबी और सोहन सिंह मौजूद थे।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांकः- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 10/07/2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 05 में भूखण्ड संख्या का माप 55' गुणा 60'-0'' फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्रीमती गुरदेव कौर पत्नी श्री श्रवण कुमार निवासी माधोपुर, कपूरथला, पंजाब द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती गुरदेव कौर पत्नी श्री श्रवण कुमार निवासी माधोपुर, कपूरथला, पंजाब द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 05 में भूखण्ड संख्या का माप 55' गुणा 60'-0'' फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : नियमन/2025/4227 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 15-07-2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है श्री आशुतोष बंसल पुत्र श्री दया किशन एवं श्रीमती प्रिया बंसल पत्नी श्री आशुतोष बंसल निवासी 512 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 2 एमएल मुरब्बा नं. 33 किला नं. 20 में माप 30 इन्टू 60 फीट भूखण्ड संख्या एल-3 रिद्धि-सिद्धि एन्कलेव, श्रीगंगानगर	उक्त भूखण्ड का नियमन पटटा संख्या 4698 दिनांक 04.07.2007 को श्री भारत भूषण धींगड़ा पुत्र श्री अमीर चंद के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री आशुतोष बंसल पुत्र श्री दया किशन एवं श्रीमती प्रिया बंसल पत्नी श्री आशुतोष बंसल द्वारा उक्त भूखण्ड को पंजीकृत बेचनामा दिनांक 22.01.2025 के द्वारा क्रय कर उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्री आशुतोष बंसल पुत्र श्री दया किशन एवं श्रीमती प्रिया बंसल पत्नी श्री आशुतोष बंसल निवासी 512 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री होल्ड पट्टे के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/404 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/4226 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 14.7.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री रिडमाल सिंह भाकर निवासी 18 पंचवटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण		
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	मृत्यु प्रमाण पत्र व विवरण	जायज वारिसों का विवरण	दस्तावेज का विवरण
चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 10 में भूखंड माप 45x65 फीट भू.सं. 18	आवासीय नियमन पट्टा स. 1548 दिनांक 5.11.2001 को श्री रिडमाल सिंह पुत्र देवाराम के नाम से जारी है। जो आज की तिथि में दर्ज है।	श्री रिडमाल सिंह भाकर की मृत्यु दिनांक 11.7.2023 को हो चुकी है।	1. लाली देवी - पत्नी 2. महावीर सिंह भाकर - पुत्र 3. नितिन भाकर - पुत्र 4. सुशीला देवी - पुत्री	श्री रिडमाल सिंह भाकर की मृत्यु उपरांत इनके वारिसों द्वारा अपना हक श्रीमती लाली देवी के हक में छोड़ दिया है। वर्तमान में लाली देवी द्वारा दस्तबरदारी की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखंड को अपने से नामांतरण बाबत न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री रिडमाल सिंह भाकर निवासी 18 पंचवटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियादे प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/446 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

खाजूवाला में मूसलाधार बारिश, घरों में पानी भरा, खेत जलमग्न

बीकानेर, (कासं)। मानसून एक बार फिर मेहरबान हैं। देर रात बीकानेर में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ जो सुबह तक अनवरत जारी रहा। दोपहर होते-होते बीकानेर शहर में तेज बारिश हुई तो खाजूवाला-छतरगढ़ में भी काफी तेज रही। खाजूवाला में पानी लोगों के घरों में घुस गया और सड़कों पर जमा पानी हिलोरे ले रहा है। खेतों में भी पानी जमा होने से बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

खाजूवाला में बिल्डिंग खतरे में है। मुख्य बाजार में बनी इस बिल्डिंग के चारों तरफ पानी भर गया है और कई जगह दरारें दिख रही है। इसके नीचे अंडरग्राउंड में आधा पानी भर गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया। बीकानेर शहर में दोपहर करीब साढ़े तीन बजे तेज बारिश शुरू हुई। वहीं खाजूवाला में दो बजे तक बारिश ने कस्बे की सड़कों को डूबो दिया। मुख्य बाजार से हर गली-मोहल्ले तक सड़कों पर ही पानी एकत्रित हुआ। ये पानी बढ़ा तो लोगों के घरों के अंदर घुस गया। परेशान लोग प्रशासन को कोसते नजर आए। घरों के अंदर पशुओं को भी पानी के कारण इधर-उधर होना पड़ा। गंदगी भी घरों के अंदर तक चली गई।

इससे पहले सोमवार रात हल्की रिमझिम के बाद बारिश रूक गई थी लेकिन देर रात करीब दो बजे बाद बारिश फिर से शुरू हुई। सुबह छह बजे तक रिमझिम ही चलती रही। तेज बारिश नहीं होने के कारण अभी तक कहीं से भी पानी भराव की सूचना नहीं है। बीकानेर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेज बारिश हुई है। नापासर में बारिश इतनी तेज रही कि गलियों में बहाव के साथ पानी बहता नजर आया। बारिश का पानी सीवर लाइन से होते हुए आगे निकल गया। नापासर के सभी मोहल्लों में पानी जमा हुआ है।

मुख्य बाजार में स्थित श्री तोलियासर भैरूजी मंदिर के सामने सीवर लाइन का चैम्बर उफान पर रहा। नाल गांव में भी बारिश के कारण गलियों में पानी जमा हो गया है। इसके अलावा शोभासर, अक्कासर, कोलासर, रायसर सहित कई गांवों में अच्छी बारिश हुई है। बारिश के इस दौर में तापमान भी कम हो गया है।

- **खाजूवाला के मुख्य बाजार में बनी बिल्डिंग के चारों तरफ पानी भर गया और कई जगह दरारें दिख रही है**

हेरोइन व अवैध शराब सहित 5 जने गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (कासं)। पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए अलग-अलग जगह से हेरोइन व अवैध शराब सहित पांच जनों को गिरफ्तार किया। जवाहर नगर थाना पुलिस ने 2 ग्राम हेरोइन सहित एक युवक को गिरफ्तार किया।

आरोपी नितिन निवासी अशोक नगर बी को गिरफ्तार केस दर्ज किया है। जवाहर नगर पुलिस ने तीन लोगों अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया। चक महाराजका निवासी आकाशदीप सिंह को रात को मौसम विभाग रोड से 30 पव्वे अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। राजविंद्र सिंह निवासी बसंत विहार को रघु रेस्टोरेंट के पास से 48 पव्वे अवैध देसी शराब बरामद किए। जवाहर नगर थाना पुलिस ने शाम को गश्त के दौरान मोहनपुरा रोड से भरत कुमार निवासी रंगमहल हाल 5 वाई को 36 पव्वे अवैध देसी शराब सहित गिरफ्तार किया।

दूषित एवं बदबूदार पानी सप्लाई से परेशान

अनूपगढ़, (कासं)। वार्ड नंबर 15 और 21 में पिछले छह महीने से पेयजल संकट बना हुआ है। मंगलवार को पार्षद संजय अरोड़ा के नेतृत्व में दोनों वार्डों की महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

स्थानीय लोगों के अनुसार घरों में सप्लाई होने वाला पानी दूषित और बदबूदार है। कई जगह पाइपलाइन में लीकेज है, जहां कुत्ते पानी पीते हैं। यही पानी घरों में सप्लाई किया जा रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाया कि विभाग समय पर पाइपलाइन की मरम्मत नहीं कराता और पेयजल सप्लाई का कोई निश्चित समय तय नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग के अधिकारी निजी कॉलोनियों में टैंकरों के जरिए पानी बेच रहे हैं। वार्ड पार्षद संजय अरोड़ा ने बताया कि समस्या बताने पर विभाग के कर्मचारी अभद्रता करते हैं। वार्डवासी पिछले कई महीनों से विभाग में प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ।

प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने देखा कि जलदाय विभाग से तीन पानी के टैंकर निकल रहे थे। पूछने पर टैंकर चालक ने बताया कि वे रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में पानी ले जा रहे हैं। इस पर एईएन गौरव कंबोज ने कहा कि रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में कोई नियमित पानी का कनेक्शन नहीं है।

- **अनूपगढ़ के वार्ड 15 व 21की महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया**

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(राज.आवा.मण्डल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
(A State Government Enterprise Constituted Under RHB Act 1970)
वृत-बीकानेर, **Circle-Bikaner**

क्रमांकः-उआआ/आरएचबी/बीका/2025-26/315 दिनांक :- 14/7/2025

आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की स्ववित्त पोषित योजना 1997 में चालान संख्या 47 द्वारा रूपये 40,000/- जमा करवाकर श्रीमति सुशीला ओझा पत्नि श्री अरविन्द ओझा ने आवास आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया था। आवंटी को आवास सं. 01-ख-28 पवनपुरी योजना, बीकानेर का कुल क्षेत्रफल 144.00 वर्गमीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 558 दिनांक 11.06.1999 को जारी किया गया था। उक्त आवास मण्डल रिकॉर्ड में दिनांक 24.07.2002 को कन्वेशडीड/परिपिज्युल को जारी कर दी गई थी। उक्त आवास उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर में दिनांक 27.02.2002 को पंजीकृत हैं। मूल आवंटी श्रीमति सुशीला ओझा पत्नि श्री अरविन्द ओझा ने उक्त आवास मुख्त्यारनामा/इकरारनामा के माध्यम से श्री कैलाश भारद्वाज पुत्र श्री सुरमेर चन्द शर्मा को बैचान किया गया। तत्पश्चात् श्री कैलाश भारद्वाज पुत्र श्री सुरमेर चन्द शर्मा ने उक्त आवास का बैचान बैयनामा के माध्यम से श्री सुभाष गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर दयाल गुप्ता एवम् श्रीमति रीता गुप्ता पत्नि श्री सुभाष गुप्ता को बैचान किया गया। उक्त बैयनामा उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर में दिनांक 14.10.2002 से पंजीकृत हैं।

तत्पश्चात श्री सुभाष गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर दयाल गुप्ता एवम् श्रीमति रीता गुप्ता पत्नि श्री सुभाष गुप्ता ने अपने पुत्र श्री योगेश कुमार को उपहार पत्र के माध्यम से गिफ्ट किया गया। उक्त उपहार पत्र उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 28.01.2004 से पंजीकृत हैं। तत्पश्चात श्री योगेश कुमार पुत्र श्री सुभाष गुप्ता ने अपनी धर्मपत्नि श्रीमति रेखा गुप्ता को गिफ्ट किया गया। उक्त गिफ्टडीड उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 14.05.2025 से पंजीकृत हैं। श्रीमति रेखा गुप्ता पत्नि श्री योगेश कुमार ने समस्त पंजीयन प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति, निर्धारित शुल्क की रसीद जमा करवाकर मण्डल रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। श्रीमति रेखा गुप्ता पत्नि श्री योगेश कुमार का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही विचाराधिन है। यदि किसी व्यक्ति/हितकारी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 10 दिवस में अपनी आपत्ति लिखितें प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमति रेखा गुप्ता पत्नि श्री योगेश कुमार का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। यदि उक्त आवास में उनके वारिसों एवम् अन्य कोई भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय/पुलिस थाना में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद पाया गया तो आवंटी स्वयं जिम्मेदार होगा।

सहायक आवासन अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त बीकानेर

अनूपगढ़ में दूसरे दिन भी झमाझम बारिश

अनूपगढ़, (कासं)। अनूपगढ़ क्षेत्र में दूसरे दिन भी बारिश होने से शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। नगर पालिका की टीमें पंप मशीनों से पानी निकासी में जुटी हैं। अधिकतर सड़कों से पानी निकाल दिया गया है। हालांकि निचले इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है।

एसडीएम कार्यालय से केन्द्रीय बस स्टैंड तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। बारिश के कारण वहां कीचड़ हो गया है। इससे आसपास के दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहायक निदेशक कृषि जसवंत सिंह बराड़ के अनुसार यह बारिश किसानों के लिए वरदान साबित होगी। ग्वार, मूंग और नरमे की फसलों को इससे लाभ मिलेगा। हालांकि घग्घर नदी बेल्ट में अधिक बारिश होने पर नरमे की फसल को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो-तीन दिन तक इसी तरह बारिश की संभावना है। राहत की बात यह है कि शहर में बारिश के कारण कहीं भी बिजली का नुकसान नहीं हुआ है।

- **शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है**
- **नगर पालिका की टीमें पंप मशीनों से पानी निकासी में जुटी हैं**

गाटर लगे वाहनों पर कार्रवाई

नोखा, (कासं)। नोखा वृत के जसरासर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने वाहनों पर लगे अवैध लोहे के गाटर जब्त किए हैं।

आईजी बीकानेर रेंज ओमप्रकाश, एसपी कावेन्द्र सिंह सागर और एएसपी ग्रामीण कैलाश सिंह सांदू के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई। वृत्ताधिकारी नोखा हिमांशु शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी संदीप कुमार ने ये अभियान चलाया। जांच में पाया गया कि कई वाहन मालिक अपने वाहनों के आगे भारी लोहे के गाटर लगाकर चल रहे थे। ये यातायात नियमों का उल्लंघन है। टक्कर की स्थिति में ये गाटर सामने वाले वाहन या राहगीरों को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। थाना जसरासर ने ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की।

यूरोलॉजी विभाग की बिल्डिंग जर्जर होने से खतरे में

बीकानेर, (कासं)। संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल की सौ साल पुरानी बिल्डिंग कई जगह से जर्जर हो रही है। मानसून में छत पर पानी भरने के कारण वार्डों में सीलन आ रही है। टॉयलेट की छत गिरी पड़ी है। सरकार ने पिछले साल पीडब्लयूडी को मेंटिनेंस के लिए 16 करोड़ का बजट मिला था। लेकिन उसका उपयोग अन्य कार्यों में कर दिया गया। अब बजट की समस्या खड़ी हो गई है।

सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज भवन का एक हिस्सा पिछले दिनों गिर पड़ा। बिल्डिंग को एक करोड़ से अधिक का नुकसान होने का अनुमान लगा जा रहा है। वीसी रूम में करीब 70 लाख के तो उपकरण ही थे। मानसून को देखते हुए यूरोलॉजी विभाग के 17 साल पुराने जर्जर भवन को लेकर करीब 150 मरीज और स्टाफ की जान जोखिम में बताई जा रही है। हॉस्पिटल के कई भवनों की पड़ताल की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। पीबीएम अधीक्षक ने तो यहां तक कह दिया कि पिछले सात महीने में पीडब्लयूडी ने कोई काम नहीं किया। एक दर्जन से अधिक पत्र लिखे जा चुके हैं।

हालात ये है कि मीटिंग के लिए अभियंताओं को कई बार बोलना पड़ता है। बिल्डिंग के कई हिस्से तो गिरने की स्थिति में हैं। कभी भी जनहानि हो सकती है।

पीबीएम में सौन्दर्यीकरण पर खर्च कर दिए 16 करोड़ पीबीएम हॉस्पिटल में पिछले दो साल में सौन्दर्यीकरण पर ही 16 करोड़ रूपए खर्च कर दिए गए जबकि यह बजट हॉस्पिटल की मेंटिनेंस पर लगाया जाना था। अधीक्षक कार्यालय के बाहर गाड़ियां खड़ी करने के लिए पोर्च और पार्क को रेनोवेट कर दिया। पट्टियों की छतों को फाल्स सीलिंग से ढक दिया गया, जिससे उसमें क्रेक हुआ तो नजर नहीं आयेगा और बड़ी जनहानि होगी।

- **मेडिकल कॉलेज भवन का एक हिस्सा पिछले दिनों गिर गया था**

राजस्थान राजपत्र विशेषांक साधिकार प्रकाशित	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinry Published by Authority

ज्येष्ठ 19, सोमवार, शाके 1947-जून 09, 2025
Jyaistha 19, Monday, Saka 1947-June 09, 2025

भाग-1(ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मई 27, 2025

(अंतर्गत भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1)

RAJKAJ 15530563-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(150) राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री बजट घोषणा की परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत Constt. of 2 Lane (RUB in Lunkaransar of railway chainage 245/5-6 Distt Bikaner विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला बीकानेर की तहसील लूणकरनसर में निम्नानुसार प्रभावित गांव में भूमि अर्जन प्रस्तावित है-

क्रम संख्या	जिला	तहसील	राजस्व-ग्राम
1	2	3	4
1	बीकानेर	लूनकरनसर	लूनकरनसर

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा "सामाजिक आर्थिक विकास समिति, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड-II बीकानेर (राजस्थान)" एजेंसी का चयन किया गया है।

उपर्युक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और नुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गावों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जन सुनवाई की जावेगी, जिसकी कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझाओं/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर पालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सार्वजनिक निर्माण विभाग माध्यम के तहत विकसित किये जाने वाली परियोजनाओं हेतु अधिनियम की धारा 2(2)( )(ii) के प्रावधानानुसार प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक होगी।
6. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
7. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्ण/सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक हैं।

सम्पर्क सूत्र-
सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
जिला खण्ड-II बीकानेर (राजस्थान)
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी
सामाजिक आर्थिक विकास समिति
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
जिला खण्ड-II, बीकानेर (राजस्थान)

(आर.के. लूथरा
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

DIPR/C/9543/2025

प्रधानमंत्री मोदी का आव्हान 'एक पेड़ मां के नाम' बना जन आंदोलन : मेघवाल

बीकानेर, (कासं)। तोलाराम जेठी देवी सुराणा चैरिटेबल ट्रस्ट तथा भाजपा गंगाशहर मंडल के संयुक्त तत्वावधान में 31 हजार पौधे वितरण करने और पौधारोपण का अभियान मंगलवार को गंगाशहर स्थित अरूणोदय विद्या मंदिर स्कूल में शुरू हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल उपस्थित रहे स्कूली बच्चों को पौधे वितरण कर कार्यक्रम की शुरूआत हुई। अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'एक पेड़ मां के नाम' लगाने का आव्हान अब जन आंदोलन बन गया है। अभियान के तहत देशभर में पौधे लगाये जा रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों और बच्चों से भी अपनी मां के नाम अथवा मां के साथ पौधारोपण करने का आव्हान किया।

उन्होंने कहा कि इस पर मां के नाम की पट्टिका लगाएं और इसकी नियमित देखभाल करें। उन्होंने पेड़ों को धरती का श्रृंगार बताया और कहा कि पेड़ लगाने से पर्यावरण संतुलित रहता है। मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पौधे लगाने और इसकी देखभाल करने का प्रकल्प हाथ में लिया गया है। तोलाराम जेठीदेवी ट्रस्ट और गंगाशहर मंडल को धन्यवाद कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया। इसके साथ ही सरकार, प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं भी पौधे लगाकर देश और प्रदेश को हरा भरा करने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने पेड़ों से सीख लेने का आव्हान किया और कहा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन, छाया, फल और वह सब कुछ देते हैं, जो हमारे लिए जरूरी होता है। उन्होंने शहर और देहात भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न स्कूलों और कॉलेज के साथ पौध वितरण और पौधे लगाने का अभियान चलाने का आव्हान किया। साथ ही तोलाराम जेठी देवी सुराणा चैरिटेबल ट्रस्ट का 31 हजार पौधों के वितरण के लिए आभार जताया।

तोलाराम जेठी देवी सुराणा चैरिटेबल ट्रस्ट का 31 हजार पौधे वितरण कार्यक्रम में पौधे वितरित किए।

- **लोगों और बच्चों से अपनी मां के नाम पौधारोपण करने का आव्हान**

दादा दत्त सूरी तप वंदना से शुरू

बीकानेर, (कासं)। गच्छाधिपति आचार्य प्रवर जिन मणि प्रभ सूरिश्वर महाराज के आज्ञानुवर्ती गणिवर्य मेहुल प्रभ सागर, मंथन प्रभ सागर, बाल मुनि मीत प्रभ सागर, बीकानेर की साध्वी दीपमाला व शंखनिधि के सानिध्य में मंगलवार को दादा गुरूदेव की स्तुति वंदना से एक माह का 'दादा दत्त सूरी' तप शुरू हुआ। मुनि व साध्वीवृंद के सानिध्य में बुधवार से 'सिद्धि तप' शुरू होगा।

बारिश के कारण ढढ्ढा कोटड़ी में प्रवचन नहीं होकर डागा सेठिया पारख मोहल्ले के महावीर भवन में हुआ। मुनिवृंद के सानिध्य में लाभार्थी श्रावक गुलाबचंद, फतेहचंद, शर्मिला खजांची परिवार, अखिल भारतीय खरतरगच्छ युवा परिषद की बीकानेर इकाई के अध्यक्ष अनिल सुराणा तथा दादा दत्त सूरी तप का संकल्प लेने वाले श्रावक-श्राविकाओं ने गुरूदेव की प्रतिमा का वंदन पूजन किया। दादा गुरूदेव की प्रतिमा को बुधवार सुबह पौने नौ बजे महावीर भवन से गाजे बाजे से ढढ्ढा कोटड़ी में ले जाकर स्थापित किया जायेगा।